

राजस्थान सरकार



Duplicate Certificate

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 170 / जयपुर/1975-76

यह प्रमाणित किया जाता है कि अश्विन्द भारती वेक्याएथ  
समिति, जयपुर जिला जयपुर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 ( राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

तीस-माह अक्टूबर सन एक हजार नौ सौ पचास

की जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर